(अ)

आवश्यक / शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में,

1. उप निदशक मत्स्य
कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।

2. उप निदेशक मत्स्य
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

3. सहायक निदेशक मत्स्य
हरिद्वार / उत्तरकाशी / चमोली / टिहरी
उधमसिहनगर / अल्मोड़ा / पिथारागढ़।

4. जनपद मत्स्य प्रभारी
देहरादून / रूद्रप्रयाग / बागेश्वर / चम्पावत / पौड़ी / नैनीताल।

संख्या–638 / स्थानान्तन्तरण–2018 / 2017–2018 दिनॉक 28 अप्रैल,2018

विषयः– **उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम,2017(संख्या–01 वर्ष–2018) में निहित प्राविधानानुसार मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम,2017(संख्या–01 वर्ष–2018) में निहित प्राविधानानुसार मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड के अधिकारी / कर्मचारियों से अनुरोध के आधार पर आवेदन निम्न प्रकार आमंत्रित किये जाते हैः–

1. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले अधिकारी / कर्मचारी 15 मई,2018 तक अपने आवेदन अपने कार्यालध्यक्ष के माध्यम से तथा कार्यालध्यक्ष अपने मण्डलीय अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को प्रस्तुत करेंगें।
2. यह भी अवगत कराना है कि अनुरोध के आधार पर आवेदन करने वाले कार्मिक आवेदन करने से पूर्व उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम,2017(संख्या–01 वर्ष–2018) संख्या–12 / xxxvi(3) / 2018 / 20(1) / 2017 दिनॉक 05 जनवरी,2018 की धारा–13 के बिन्दु (1) से (6) तक का भली भॉति अध्ययन कर लें।
3. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन अधिनियम की धारा 12 के अधीन प्रकाशित रिक्तियों के सापेक्ष ही किया जा सकेगा और भरे हुए पदों / कार्यस्थलों के लिए अनुरोध अनुमन्य न होगा। कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।
4. अनुरोध के आधार पर आवेदन करने वाले कार्मिक आवेदन के साथ 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प पत्र भी भरकर प्रेषित करें।
5. उप निदेशक मत्स्य गढ़वाल मण्डल पौड़ी तथा कुमायूँ मण्डल नैनीताल को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने–अपने मण्डल की सूचना 15 मई,2018 तक अनिवार्य रूप से वाहक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कर दें। प्राप्त विकल्पों / आवेदन पत्रों को अनिवार्य रूप से 20 मई,2018 तक बेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है। विलम्ब हेतु सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें।

भवदीय्

(डा0बी0पी0मधवाल)
निदेशक मत्स्य
उत्तराखण्ड देहरादून।

Scanned by CamScanner

# अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु विकल्प पत्र का प्रारूप

1. अधिकारी/कर्मचारी का नामः–.................................................................................

2. गृह जनपदः–.................................................................................

3. पदनामः–.................................................................................

4. जन्मतिथिः–.................................................................................

5. 10 ऐच्छिक स्थान (रिक्तियों के सापेक्ष प्राथमिकता कम में) जहाँ स्थानान्तरण के इच्छुक होंः–

   1. .................................................................
   2. .................................................................
   3. .................................................................
   4. .................................................................
   5. .................................................................
   6. .................................................................
   7. .................................................................
   8. .................................................................
   9. .................................................................
   10. .................................................................

6. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण का विवरण दें (धारा–13 (1)से (6) तक)–.................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
नाम/पदनाम–
मो0न0–.............................

7. सक्षम अधिकारी की संस्तुति (अनिवार्य रूप से):–

संस्तुति कर्ता अधिकारी का
नाम/पदनाम हस्ताक्षर सहित

Scanned by CamScanner